कार्यालय नगरीय विकास विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर।
डायरी क्रमांक 9759
दिनांक 26

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।

क्रमांकःप.8(ग)( )नियम/डीएलबी/2017/18656 जयपुर, दिनांकः 25/5/17

आदेश

विषयः— आवासीय/व्यावसायिक समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना एवं शिविरो के प्रभावी संचालन एवं क्रियान्वयन बाबत्।

नगरीय विकास विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा आवासीय/व्यावसायिक समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना एवं शिविरो के प्रभावी संचालन एवं कियान्वयन के संबंध में आदेश कमांक प.2(30)नविवि/3/2016–पार्ट/1516–30 दिनांक 25.04.2017 के बिन्दु संख्या 3 में सिवायचक भूमियों पर दिनांक 15.08.2009 तक 300 वर्गगज क्षेत्रफल तक की सीमा तक अनाधिकृत आवासीय निर्माणो का नियमन करने हेतु निर्देश प्रदान किये गये थे।

राज्य सरकार द्वारा आदेश कमांक प.2(30)नविवि/3/2016–पार्ट/ दिनांक 11.05.2017 जारी किया जाकर बिन्दु संख्या 2 में 300 वर्गमीटर तक राजकीय भूमि के नियमन बाबत् पूर्व में जो दिशा–निर्देश जारी किये गये है, उन्हें प्रत्याहारित किया गया।

राज्य सरकार द्वारा आदेश कमांक प.2(30)नविवि/3/2016–पार्ट/ 1516–30 दिनांक 25.04.2017 के बिन्दु संख्या 1 के खण्ड (iv) में दिनांक 17.06.1999 से पूर्व अस्तित्व में आई योजना के मध्य स्थित राजकीय भूमि/राजकीय भूमियों पर बसी कॉलोनियों का नियमन करने के संबंध में निर्देश प्रदान किये गये थे।

राज्य सरकार द्वारा आदेश कमांक प.2 (30)नविवि/3/2016–पार्ट/ दिनांक 11.05.2017 जारी किया जाकर बिन्दु संख्या 5 में निर्देशित किया गया कि योजना क्षेत्र में कोई भी सरकारी जमीन आ रही हो, तो शिविर/मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना की अवधि के दौरान नियमन/आवंटन नहीं किया जावेगा। किसी अन्य पॉलिसी, पृथ्वीराज नगर/टाउनशिप पॉलिसी में यदि इस बाबत् कोई प्रावधान है, तो विहित प्रावधानो के तहत कार्यवाही की जावेगी।

राज्य सरकार द्वारा व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुये आदेश कमांक प.2 (30)नविवि/3/2016 दिनांक 11.05.2017 के बिन्दु संख्या 2 को प्रत्याहारित करते हुये निर्देश प्रदान करती है कि पूर्व आदेश प.2(30)नविवि/3/2016–पार्ट/1516–30 दिनांक 25.4.2017 के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार दिनांक 15.08.2009 तक 300 वर्गगज तक के सिवायचक/राजकीय भूमि पर किये गये अनाधिकृत निर्माणो का नियमन किया जावे।

इसके साथ ही उक्त आदेश दिनांक 11.05.2017 के बिन्दु संख्या 5 को प्रतिहारित करते हुये राज्य सरकार एतत्द्वारा आदेश दिनांक 25.04.2017 के बिन्दु संख्या 1 (iv) के अनुसार दिनांक 17.06.1999 से पूर्व अस्तित्व में आई योजना के मध्य स्थित राजकीय भूमि/राजकीय भूमियों पर बसी कॉलोनियो का नियमन करने का निर्देश प्रदान करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मुकेश कुमार मीना)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

D:\QAYAM15.Order.doc

क्रमांकःप.8(गं)( )/नियम/डीएलबी/17/18657-19117 दिनाक 25/5/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
4. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
5. समस्त आयुक्त विकास प्राधिकरण राजस्थान।
6. समस्त सचिव, नगरीय विकास न्यास राजस्थान।
7. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान।
8. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त।
9. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त।
10. अधीक्षक, केन्दीय लेखन एवं मुद्रणालय, राज० जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राजपत्र में उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशित करने एवं पांच प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
11. सुरक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक प.2(30)नविवि/3/2016 पार्ट दिनांकः- 10 JUL 2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को पत्र कमांक प.8(ग)नियम/DLB /2017/18656 दिनांक 25.05.2017 की अनुपालना हेतु प्रेषित हैं:-

1. सचिव जयपुर विकास प्राधिकरण/जोधपुर विकास प्राधिकरण/अजमेर विकास प्राधिकरण
2. आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय।
4. समस्त सचिव नगर विकास न्यास
5. वरिष्ठ उपशासन सचिव नगरीय विकास विभाग को उक्त परिपत्र विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

10/7/17

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

D:\QAYAM15 Order.doc